



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फ़ोन न. 0141-2229981, E mail ID:cojsy.nhm@gmail.com

क्रमांक: F (14) NHM/RCH/MH/M.RajShree.Yojana/ 46

दिनांक: 01-06-2016

विडियो कॉन्फ़ेसिंग में जारी निर्देश

दिनांक 27.05.2016 को श्रीमान मिशन निदेशक-एनएचएम, महोदय की अध्यक्षता में, दिनांक 01.06.2016 से शुरू की जा रही **मुख्यमंत्री राजश्री योजना** एवं **"प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)"** के संबंध में सभी संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप निदेशक - आईसीडीएस, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला नोडल अधिकारी, जिला आशा समन्वयक विडियो कॉन्फ़ेसिंग बैठक आयोजित की गई।

राज्य मुख्यालय से निदेशक-आरसीएच, परियोजना निदेशक मातृ-स्वास्थ्य, डेमोग्राफर-डीईओ सैल एवं राज्य मुख्यालय पर कार्यरत अन्य सलाहकार एवं प्रोग्राम अधिकारी ने विडियो कॉन्फ़ेसिंग में भाग लिया।

विडियो कॉन्फ़ेसिंग के माध्यम से श्रीमान मिशन निदेशक-एनएचएम एवं राज्य मुख्यालय अधिकारियों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान किये गये :-

मुख्यमंत्री राजश्री योजना

- श्रीमान मिशन निदेशक महोदय ने अवगत कराया है कि 01.06.2016 से शुरू की जा रही मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत बालिका के सर्वांगीण विकास के क्रम में योजना के अन्तर्गत कुल छ किशतों में कुल पचास हजार रुपये का परिलाभ योजना के प्रावधान अनुसार देय होगा।
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत प्रथम दो किशतों में दिया जाने वाला परिलाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जावेगा।
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जेएसवाई में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों पर बालिका के जीवित जन्म पर प्रथम किशत के रूप में देय राशि 2500/- रुपये व द्वितीय किशत के रूप में देय राशि 2500/- रुपये बालिका के एक वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त व पूर्ण टीकाकरण होने की शर्त पर देय होगा। 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ रेखांकित चेक के माध्यम से देय होगा।
- 1 अप्रैल 2013 से संचालित मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के तहत दिया जाने वाला प्रथम परिलाभ राशि रु. 2100/- 31 मई 2016 रात्री 12:00 बजे तक ही देय होगा। उसके पश्चात जीवित जन्म लेने वाली बालिका को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत प्रथम किशत के रूप में राशि 2500/- रुपये दी जावेगी।
- मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के तहत 31 मई 2016 रात्री 12:00 बजे तक जन्मी बालिकाओं के केसेज में आगामी दिये जाने वाले द्वितीय एवं तृतीय परिलाभ पूर्ण में जारी मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के दिशा-निर्देशानुसार दिया जायेगा।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उच्चतर राजकीय चिकित्सा संस्थानों जिन पर ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का ऑनलाइन परिलाभ दिया जा रहा है, इन संस्थानों पर भी 31 मई 2016 रात्री 12:00 बजे के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के केसेज में मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत देय परिलाभ Account Payee चेक के माध्यम से देय होगा। इन संस्थानों पर **पेननी सुरक्षा योजना** के तहत देय परिलाभ ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही दिया जावेगा।

ब.बी.बी.


श्रीमान मिशन निदेशक महोदय ने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन जिलों में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक 1 जून 2016 से पहले होना प्रस्तावित है इन बैठकों में मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में आवश्यक रूप से चर्चा कर सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को योजना के दिशानिर्देशों से अवगत करावे। साथ ही सभी जिला अधिकारी अदिलम्ब खण्ड स्तरीय अधिकारियों को बैठक एवं वीसी आयोजित कर मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाये।

"प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)"

प्रत्येक गर्भवती महिला को गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व जाँच सुविधाएं मिल सकें इसी उद्देश्य के साथ राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में माह के दौरान एक निश्चित दिन हर माह की 9 तारीख को अभियान के रूप में एएनसी सेवाएं देने हेतु **"प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)"** भारत सरकार के आदेशानुसार आरम्भ करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत राजस्थान के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला/उपजिला/सैटेलाइट अस्पताल पर ग्रीष्मकाल (1 अप्रैल से 30 सितम्बर) में प्रातः 8 से 2 बजे व शीतकाल (1 अक्टूबर से 31 मार्च) में प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे स्त्री रोग विशेषज्ञ अथवा चिकित्सक द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व की सभी जांचें निशुल्क की जायेंगी और सुरक्षित और संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल और फॉलो-अप किया जायेगा। इस दौरान एएनसी सेवाओं के साथ उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला की पहचान, फॉलोअप, उपचार, रैफरल सुविधा भी प्रदान की जानी है। इसका शुभारम्भ माह 9 जून, 2016 को किया जाना है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के प्रारम्भ होने के उपरान्त राज्य में पूर्व से आयोजित किए जा रहे सुरक्षित मातृत्व दिवस व प्रसूति नियोजन दिवस निम्नानुसार आयोजित किए जायेंगे:-

- प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला/उपजिला/सैटेलाइट अस्पताल पर "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" आयोजित किया जायेगा।
- वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित "सुरक्षित मातृत्व दिवस" को यथावत रखते हुये द्वितीय सप्ताह में आयोजित होने वाले सुरक्षित मातृत्व दिवस को 9 तारीख को "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" के रूप में मनाया जायेगा।
- राज्य में प्रत्येक माह के "प्रथम, तृतीय व चतुर्थ शुकुवार" को गॉयनाक्लोजिस्ट द्वारा निश्चित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सुरक्षित मातृत्व दिवस यथावत आयोजित होंगे। इन समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आयोजित किया जायेगा।
- प्रत्येक माह चौथे गुरुवार को प्रसूति नियोजन दिवस अब केवल उपस्वास्थ्य केन्द्र ही पर यथावत आयोजित किये जायेगा।


निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :-

- 1 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक - एनएचएम, जयपुर।
- 2 निजी सहायक, निदेशक, आरसीएच।
- 3 निजी सहायक, उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग।
- 4 निदेशक वित्त, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर/वित्तीय सलाहकार, प.क।
- 5 परियोजना निदेशक - मातृ स्वास्थ्य, एनएचएम, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
- 6 स्टेट डेमोग्राफर एवं मुल्यांकन अधिकारी, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
- 7 राज्य समन्वयक - महिला अधिकारिता विभाग।
- 8 नोडल अधिकारी/सलाहकार जेएसवाई, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
- 9 कार्यक्रम अधिकारी - आईएमईपी, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
- 10 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- 11 समस्त प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
- 12 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- 13 समस्त उपनिदेशक - आईसीडीएस।
- 14 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला नोडल अधिकारी/जिला आशा समन्वयक।
- 15 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि समस्त जिलों में एवं सम्बन्धितों को ई-मेल द्वारा सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 16 रक्षित पत्रावली।

101-6.16
निदेशक, आरसीएच